रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-60/2026/1864/22-2-2024-17(643)/2025

लखनऊ: दिनांक: 21 जनवरी, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी श्रीमती उर्मिला (बन्दी सं0-512/2018) पत्नी श्री कढिलेराम, निवासी ग्राम-सेमरी, मजरा कैमहरी खुर्द थाना-मानपुर, जनपद-सीतापुर का निवासी है, जिन्हें बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-972/2011 में भा0द0वि0 की धारा 498ए, 304बी व 4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट (न्यू), सीतापुर के दण्डादेश दिनांक 26.10.2018 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में लम्बित है, बंदी द्वारा दिनांक 10.08.2023 तक अपरिहार 09 वर्ष 11 माह 08 दिन तथा 11 वर्ष 04 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक एवं अच्छा जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-60/2026/1864(1)/22-2-2024 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

3- पुलिस अधीक्षक सीतापुर।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in